हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तारीख हुक्म	
5-7-19	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण अधिवक्ता उप0। विप्रार्थी संख्या 6 पैरोकार उप0। उभय पक्ष को सुना। प्रार्थीगण ने इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया है कि प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण संख्या 1 से 5 की संयुक्त खातेदारी की भूमि ग्राम– मौखाब कला पटवार हल्का मौखबकला, तह0 शिव के खेत खसरा नम्बर 253, 279 रकबा कमशः 88.03, 17.09 बीघा भूमि अवस्थित है। प्रार्थीगण ने उक्त भूमि जरिये पंजीबद्ध विकय पत्र संख्या 144/97 के पृष्ठ संख्या 121 विकय पत्र दिनाक 14.05.1997 व विकय पत्र संख्या 201503064101328 पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 159 मे पृष्ठ संख्या 80 दिनांक 11.08.2015 को खरीदी थी। उस समय प्रार्थी संख्या 1 का नाम हडवंताराम पुत्र मोटाराम, प्रार्थी संख्या 2 का नाम बाबूराम पुत्र मोटाराम व प्रार्थी संख्या 3 का नाम अमूराम उर्फ अमृतलाल पुत्र मोटाराम नाम से पुकारा जाने के कारण वक्त रजिस्ट्री वही नाम भूलवंश दर्ज हो गया है। जबकि प्रार्थीगण का सही नाम हडोताराम पुत्र मोटाराम, बाबूलाल पुत्र मोटाराम व अमृतकुमार पुत्र मोटाराम है। अतः प्रार्थीगण ने राजस्व रेकर्ड में अपने नाम को शुद्विकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। आवेदन दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी संख्या 1 से 5 ने इकबाली जवाब प्रस्तुत कर आवेदन के तथ्यो में अपनी सहमति जाहिर की विप्रार्थी संख्या 6 तहसीलदार शिव ने ने अपने जवाव मे प्रार्थीगण के नाम को दुरूस्त किये जाने मे अपनी अनापति जाहिर की है। प्रार्थीगण ने अपने आवेदन के समर्थन में दस्तावेजात नकल आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड व अन्य दस्तावेजात प्रस्तुत किये। हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो तथा विप्रार्थीगण के जवाब का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम हडोताराम पुत्र मोटाराम, बाबूलाल पुत्र मोटाराम व अमृतकुमार पुत्र मोटाराम ही है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम मौखाब कल्ला, खेत खसरा नम्बर 253, 279 रकबा कमशः 88.03, 17.09 बीघा भूमि के राजस्व रेकर्ड मे अन्य सभी प्रविष्टियां यथावत रखते हुए प्रार्थी संख्या का नाम 1. हडवंताराम पुत्र मोटाराम, प्रार्थी संख्या 2 का नाम बाबूराम पुत्र मोटाराम व प्रार्थी संख्या 3 का नाम अमूराम उर्फ अमृतलाल पुत्र मोटाराम के स्थान पर हडोताराम पुत्र मोटाराम, बाबूलाल पुत्र मोटाराम व अमृतकुमार पुत्र मोटाराम किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अमलदरामद सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 05.07.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी शिव

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Pratap Singh
Date: 2020.01.15 15:09:27 IST
Reason: SelfAttested